



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-01032023-244018  
CG-MH-E-01032023-244018

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 142]  
No. 142]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 28, 2023/फाल्गुन 9, 1944  
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 28, 2023/PHALGUNA 9, 1944

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड  
अधिसूचना

मुंबई, 28 फरवरी, 2023

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

[विनिधानकर्ता (निवेशक) संरक्षण और शिक्षण निधि](संशोधन) विनियम, 2023

सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./बी.एन./2023/126.— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधानकर्ता (निवेशक) संरक्षण और शिक्षण निधि]विनियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधानकर्ता (निवेशक) संरक्षण और शिक्षण निधि](संशोधन)विनियम, 2023 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीखको लागू होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधानकर्ता (निवेशक) संरक्षण और शिक्षण निधि]विनियम, 2009 में,-
  - विनियम 5 में,
    - उप-विनियम (2) में, खंड (छ) में, शब्द तथा चिह्न "व्यय;" के बाद दिया हुआ शब्द "और" हट जाएगा।

- ख. उप-विनियम (2) में, खंड (छ) के बाद, निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-  
 “(छक)बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के तहत कोई इनाम देने के लिए, ताकि अधिनियम की धारा 28क या प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 [सिक्कूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1956] (1956 का 42) की धारा 23अख (23जेबी) या निक्षेपागार अधिनियम, 1996[डिपॉज़िटरीज़ एक्ट, 1996] (1996 का 22) की धारा 19-अख (19-आईबी) के तहत रकम की वसूली करने के उद्देश्य से बोर्ड को मूल सूचना प्रदान करने के लिए मुखबिरों (सूचना प्रदाताओं) को इनाम की रकम अदा की जा सके; और”
- ग. उप-विनियम (3) में, शब्दों, चिह्नों तथा अंक “के उपबंधों के होते हुए भी, इन विनियमों के विनियम 4 के खंड (ज) के अनुसार प्रत्यर्पित और निधि में जमा की गयी रकमों और उन पर प्रोद्भूत ब्याज का उपयोग, उन मामलों में जहाँ बोर्ड ऐसे पात्र और पहचाने जा सकने वाले विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) को वापस करना ठीक समझे जिन्होंने प्रतिभूति विधियों के अतिक्रमण के परिणामस्वरूप हानियाँ उठायी हों, केवल इस प्रकार वापस किये जाने के प्रयोजनार्थ किया जायेगा :” के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक के प्रावधानों (उपबंधों) के होते हुए भी, इन विनियमों के विनियम 4 के खंड (ज) के अनुसार लौटाई गई (प्रत्यर्पित की गई) और निधि (फंड) में जमा की गई रकम और उस रकम पर मिले ब्याज की रकम का उपयोग केवल उन मामलों में पैसा लौटाने के उद्देश्य से किया जाएगा, जहाँ बोर्ड उननिवेशकों को पैसा लौटाना ठीक समझे जो पात्र हों तथा जिनकी पहचान की जा सकती हो और जिन्हें प्रतिभूतियों (सिक्कूरिटीज़) से संबंधित कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन की वजह से नुकसान हुआ हो, या फिर उन मुखबिरों को इनाम की रकम अदा करने के उद्देश्य से किया जाएगा जिन्होंने बोर्ड को उस रकम की वसूली करने के संबंध में मूल सूचना प्रदान की हो जिसे लौटाने (प्रत्यर्पित करने) हेतु निदेश जारी किए गए हों:” आ जाएँगे।

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./668/2022-23]

### पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधानकर्ता (निवेशक) संरक्षण और शिक्षण निधि] विनियम, 2009, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/05/163525, 19 मई, 2009 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधानकर्ता (निवेशक) संरक्षण और शिक्षण निधि] विनियम, 2009, तत्पश्चात्:
  - क) 9 जनवरी, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधानकर्ता (निवेशक) संरक्षण और शिक्षण निधि] (संशोधन) विनियम, 2014, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/38/49, द्वारा,
  - ख) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037, द्वारा, संशोधित हुए थे।

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA****NOTIFICATION**

Mumbai, the 28th February, 2023

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (INVESTOR PROTECTION AND EDUCATION FUND) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2023**

**SEBI/LAD-NRO/GN/2023/126.**—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Investor Protection and Education Fund) Regulations, 2009, namely: -

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Investor Protection and Education Fund) (Amendment) Regulations, 2023.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Investor Protection and Education Fund) Regulations, 2009-
  - I. in regulation 5,
    - a. in sub-regulation (2), in clause (g), the word “and” appearing after the word and symbol “Ombudsman;” shall be omitted.
    - b. in sub-regulation (2), after clause (g), the following new clause shall be inserted, namely, -
 

“(ga) any reward under the guidelines as may be issued by the Board from time to time for the grant and payment of reward to the informants for providing original information to the Board to recover amounts under section 28A of the Act or section 23JB of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) or section 19-IB of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996); and”
    - c. in sub-regulation (3), the words and symbols “, be utilised only for the purposes of such restitution:” shall be substituted with the words and symbols “or for rewarding informants who provide original information to the Board to recover amounts directed to be disgorged, be utilised only for the purposes of such restitution or reward:”

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./668/2022-23]

**Footnotes:**

1. The Securities and Exchange Board of India (Investor Protection and Education Fund) Regulations, 2009 were published in the Gazette of India on 19<sup>th</sup> May 2009 vide notification no. LAD-NRO/GN/2009-10/05/163525.
2. The Securities and Exchange Board of India (Investor Protection and Education Fund) Regulations, 2009, were subsequently amended on:
  - a) January 9, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Investor Protection and Education Fund) (Amendment) Regulations, 2014 vide notification no. LAD/ NRO/ GN/2013-14/38/49.
  - b) March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037.